Toppersnotes
Unleash the topper in you

UPSC Prelims

संघ लोक सेवा आयोग

भाग – 5

भारतीय राजव्यवस्था

SIERRA INNOVATIONS

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
2	भारतीय संविधान का निर्माण	7
3	भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ	14
4	संविधान में संशोधन	22
5	शासन प्रणाली	29
6	संविधान की प्रस्तावना	33
7	राज्य और केंद्र शासित प्रदेश	38
8	नागरिकता	45
9	मौलिक अधिकार	50
10	राज्य के नीति निदेशक तत्व	72
11	मौलिक कर्तव्य	77
12	राष्ट्रपति	79
13	कार्यपालिका	86
14	संसद (भाग– V अनुच्छेद 79–122)	91
15	न्यायपालिका	116
16	राज्यपाल	135
17	राज्य विधानमंडल	140
18	भारत में स्थानीय स्वशासन पंचायतें और नगरपालिकाएं	148
19	केंद्र–राज्य संबंध	159
20	संविधान में विशेष प्रावधान पाँचवी और छठी अनुसूची	170
21	संवैधानिक निकाय	175
22	गैर–संवैधानिक निकाय	182
23	भारत में चुनाव	188

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
24	आपातकालीन प्रावधान	198

1 CHAPTER ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न अधिनियमों और नीतियों से जुड़ी हुई है। इन अधिनियमों के माध्यम से भारत में शासन की प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ।
- भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से लागू हुआ। यह तिथि इस तथ्य को दर्शाती है कि संविधान किसी देश के शासन के मूल सिद्धांतों और नियमों को स्थापित करने वाला सर्वोच्च दस्तावेज़ होता है।
- भारतीय संविधान सरकार की संरचना, नागरिकों के अधिकारों तथा सरकार और नागरिकों के मध्य संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

भारतीय संविधान का विकास

- भारत के डोमिनियन दर्जे (अधिराज्य) से एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तन की आधारशिला भारतीय संविधान में निहित है। संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने केंद्रीय और निर्णायक भूमिका निभाई।
- संविधान सभा द्वारा 1946 से 1949 के मध्य संविधान प्रारूप पर गहन विचार-विमर्श और विस्तृत चर्चा की गयी।
- भारत के सवैंधानिक विकास को दो प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है-

1. **कंपनी शासन (1773 – 1858):** इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन व्यवस्था की रूपरेखा स्थापित की गई।
2. **क्राउन शासन (1858 – 1947):** इस दौरान भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, जिससे प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तन हुए।

भारत में कंपनी शासन (1773 – 1858)

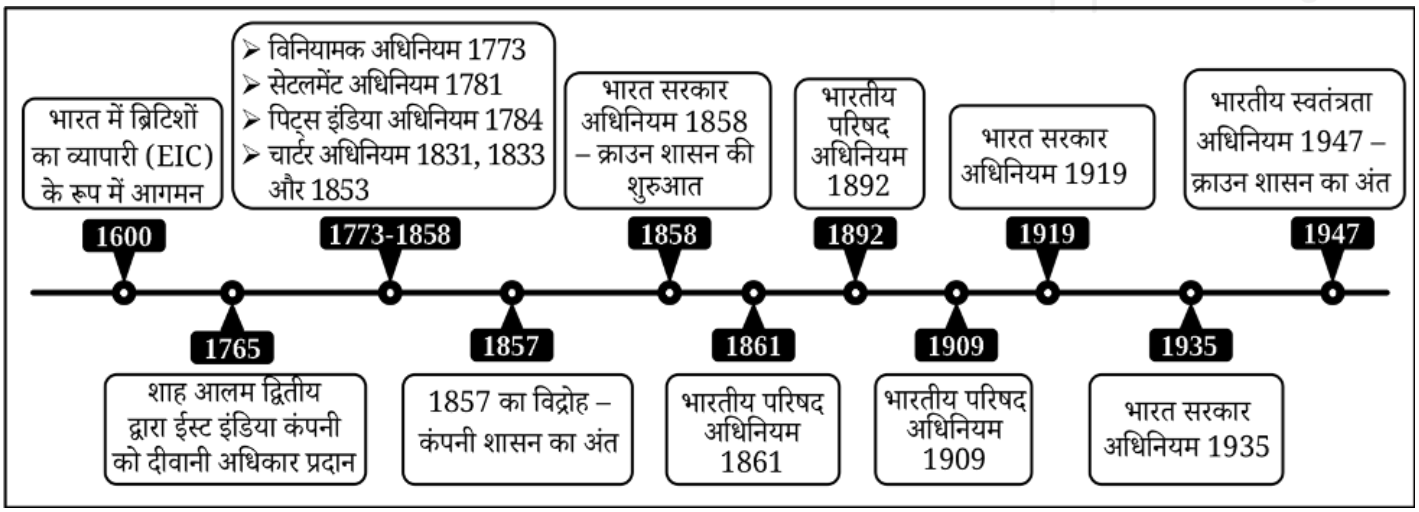

अधिनियम (गवर्नर जनरल)	प्रमुख प्रावधान
रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 (गवर्नर जनरल-वारेन हेस्टिंग्स)	➢ इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की आधारशिला रखी गई तथा कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों की औपचारिक मान्यता प्रदान की गई। ➢ बंगाल के 'गवर्नर' पदनाम को "**गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल**" पदनाम में परिवर्तित किया गया। ➢ मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ➢ बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ➢ इस अधिनियम के तहत **कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना** हुई। ➢ कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। ➢ भारत में कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों के बारे में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की स्थापना की गई।
संशोधन अधिनियम, 1781 (गवर्नर जनरल-वारेन हेस्टिंग्स)	➢ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई। ➢ राजस्व संबंधी मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से बाहर रखा गया। ➢ अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित मामलों में न्यायालयों द्वारा संबंधित पक्षों के लिए हिंदू या मुस्लिम कानून लागू किया जाएगा। ➢ प्रांतीय न्यायालयों से की जाने वाली अपीलें गवर्नर जनरल की परिषद को भेजी जाती थीं। ➢ गवर्नर जनरल की परिषद को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए विनियम बनाने का अधिकार दिया गया।
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 (गवर्नर जनरल-वारेन हेस्टिंग्स)	➢ इस अधिनियम के द्वारा **कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को विभाजित** किया गया। ➢ **द्वैध शासन की स्थापना** की गई: ✓ **नियंत्रण बोर्ड (बोर्ड ऑफ कंट्रोल**)– राजनीतिक, नागरिक तथा सैन्य कार्यों की निगरानी के लिए बनाया गया। ✓ **निदेशक मंडल (कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स)** – व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया । ➢ इसके तहत पहली बार कंपनी के अधिकारिक क्षेत्रों को "**भारत में ब्रिटिश अधिकार वाले**" क्षेत्र कहा गया।
अधिनियम, 1786 (गवर्नर जनरल-लॉर्ड कॉर्नवालिस)	➢ इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष मामलों में कार्यकारी परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया ।
चार्टर एक्ट, 1793 (गवर्नर जनरल-जॉन शोर)	➢ भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को परिषद के निर्णयों को अस्वीकार (वीटो) करने का अधिकार दिया गया। ➢ इस अधिनियम द्वारा **बॉम्बे और मद्रास प्रांत की अधीनता** गवर्नर-जनरल के प्रति स्पष्ट रूप से घोषित की गई। ➢ यह भी निर्धारित किया गया कि कमांडर-इन-चीफ को केवल नियुक्त होने पर ही परिषद का सदस्य माना जाएगा।

चार्टर एक्ट, 1813 (गवर्नर जनरल-लॉर्ड मिंटो I)	➢ इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के **व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त** कर दिया, जिससे ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई (केवल चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर)। ➢ इस अधिनियम ने कंपनी के भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट किया । ➢ स्थानीय सरकारों को कर लगाने और कर अदा न करने वालो को दंडित करने की शक्ति दी गई। ➢ **ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार की अनुमति** मिल गयी । ➢ **भारतीय शिक्षा के लिए ₹1 लाख का वार्षिक अनुदान निर्धारित** किया गया।
चार्टर एक्ट, 1833 (गवर्नर जनरल ऑफ़ इंडिया-विलियम बेंटिक)	➢ इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को **"भारत का गवर्नर जनरल"** घोषित किया गया तथा **लॉर्ड विलियम बेंटिक** इस पद पर नियुक्त होने वाले **पहले व्यक्ति** बने थे। ➢ ब्रिटिश भारत में केन्द्रीकरण की दिशा में यह अंतिम और निर्णायक कदम था, जिसके तहत सम्पूर्ण भारत को एकीकृत प्रशासनिक इकाई के रूप में देखा गया। ➢ इस अधिनियम द्वारा बॉम्बे और मद्रास प्रांत की विधायी शक्तियाँ भारत के गवर्नर जनरल को सोंप दी गई तथा बनाये गये कानूनों को अधिनियम कहा गया। ➢ **चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया** गया। ➢ परिणामस्वरूप कंपनी अब केवल एक प्रशासनिक निकाय बन गई – वह अब व्यापार नहीं कर सकती थी। ➢ इस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु खुली प्रतियोगिता प्रणाली का भी प्रस्ताव दिया गया। ➢ **लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग की स्थापना 1834 में की गई**
चार्टर एक्ट, 1853 (गवर्नर जनरल ऑफ़ इंडिया--लॉर्ड डलहौज़ी)	➢ यह चार्टर एक्ट की अंतिम कड़ी थी। ➢ इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल परिषद की कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ विभाजित की गई। ➢ भारतीय विधायी परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व के उद्देश्य के तहत 6 नए सदस्य शामिल किए गए, जिससे कुल सदस्य संख्या 12 हो गई। ➢ इस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिनमें से 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किए गए। ➢ **सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता प्रणाली ओपचारिक रूप से लागू की गई।** ➢ चौथे विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य के रूप में मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ।

ताज का शासन(Crown Rule: 1858 – 1947)

अधिनियम (वायसराय)	**प्रमुख प्रावधान (मुख्य बिंदु)**
भारत सरकार अधिनियम, 1858 (वायसराय: लॉर्ड कैनिंग)	➢ **इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया।** ➢ गवर्नर जनरल का **पदनाम अब "वायसराय" पदनाम में बदल गया**; **लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय** बने।

	➢ **इस अधिनियम से नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया।** ➢ इस अधिनियम द्वारा भारत के लिए एक **सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (राज्य सचिव)** की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ➢ इस अधिनियम के द्वारा सचिव की सहायता हेतु 15 सदस्यों की एक सलाहकार परिषद बनाई गई।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 (वायसराय: लॉर्ड कैनिंग)	➢ इस अधिनियम के द्वारा **वायसराय को गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को नामित करने का अधिकार मिला।** इसके अंतर्गत वर्ष 1862 में वायसराय कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधायी परिषद का सदस्य नामित किया। ➢ इस अधिनियम द्वारा बॉम्बे और मद्रास प्रांत की विधायी शक्तियाँ पुनः बहाल करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। ➢ आपातकाल के दौरान वायसराय को बिना परिषद की अनुमति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ➢ विभागीयकरण (पोर्टफोलियो) प्रणाली की शुरुआत की गई, जिससे परिषद के सदस्यों को स्वतंत्र रूप से विभागों का प्रबंधन करने की अनुमति मिली। ➢ **बंगाल, उत्तर-पश्चिम प्रांत और पंजाब के लिए नई विधायी परिषदों की स्थापना की गई।**
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 (वायसराय: लॉर्ड लैंसडाउन)	➢ इस अधिनियम के द्वारा **केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई** गयी, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का बना रहा। ➢ इस अधिनियम द्वारा **बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति मिली।** ➢ इस परिषद् मैं गैर-सरकारी सदस्य नामित किए गए- ✓ केंद्रीय परिषद में वायसराय द्वारा प्रांतीय परिषद व बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर सदस्य नामित किये गये। ✓ प्रांतीय परिषद में गवर्नर द्वारा जिला बोर्ड, नगर पालिकाएं, विश्वविद्यालय, व्यापार संघों, ज़मींदारों और चैंबरों की सिफारिश पर सदस्य नामित किये गये।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधार; वायसराय: लॉर्ड मिंटो द्वितीय)	➢ इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधायी परिषद के सदस्य 16 से बढ़ाकर 60 कर दिए गये परन्तु फिर भी आधिकारिक/सरकारी बहुमत बना रहा। ➢ प्रांतीय विधायी परिषदों में गैर-सरकारी बहुमत की अनुमति प्रदान की गई। ➢ **सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने तथा बजट पर प्रस्ताव रखने का अधिकार भी दिया गया।** ➢ **इस अधिनियम की मुख्य विशेषता मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Electorate) की शुरुआत थी।** ➢ **लॉर्ड वायसराय की कार्यकारिणी परिषद** में पहली बार एक भारतीय सदस्य— **सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त** किया गया। ➢ नगर निगम, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल और ज़मींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया।
भारत सरकार अधिनियम, 1919	➢ इस अधिनियम के द्वारा **विषयों को केंद्र और प्रांतों के विषयों** में **विभाजित** किया गया। ➢ इस अधिनियम ने **प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy) की स्थापना** की एवं प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों में बाँटा गया-

(मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार; वायसराय: लॉर्ड चेम्सफोर्ड)	✓ आरक्षित विषय: गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी द्वारा शासित होते थे। ✓ हस्तांतरित विषय: गवर्नर द्वारा विधायी परिषद के मंत्रियों की सहायता से शासित होते थे। ➢ इस अधिनियम से देश में द्विसदनीय विधायिका और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। ➢ वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 3 भारतीय सदस्य शामिल किए गए (कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर)। ➢ **इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान सिख, ईसाई, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीयन्स के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार करना था।** ➢ इस अधिनियम द्वारा **प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग** कर दिया गया और प्रांतीय विधानमंडलों को अपना बजट बनाने का अधिकार दिया गया। ➢ इस अधिनियम ने **लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का पद सृजित** किया गया। ➢ **सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया।** ➢ समान हितों वाले विषयों पर चर्चा के लिए 120 सदस्यों वाली राजाओं की परिषद (Chamber of Princes) की स्थापना का प्रस्ताव इसी अधिनियम द्वारा दिया गया।
भारत सरकार अधिनियम, 1935 (वायसराय: लॉर्ड विलिंगडन)	➢ इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों और रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ (Federation) बनाने की योजना प्रस्तावित की गयी, लेकिन रियासतों की असहमति के कारण यह लागू नहीं हो सकी । ➢ अधिनियम द्वारा **शक्तियाँ तीन सूचियों में विभाजित** किया गया -- संघ सूची (59 विषय), प्रांतीय सूची (54 विषय), समवर्ती सूची (36 विषय); अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई। ➢ इस अधिनियम के माध्यम से **प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई** तथा प्रान्तों में उत्तरदायी सरकारें स्थापित की गई। ➢ केंद्र में द्वैध शासन प्रस्तावित था, लेकिन लागू नहीं हुआ। ➢ 11 में से 6 प्रांतों (बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रान्त) में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। ➢ **अधिनियम मैं दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गयी।** ➢ मताधिकार 14% जनसंख्या तक ही सिमित था । ➢ इस अधिनियम के तहत कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की गई, जिनमें -रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, संघ लोक सेवा आयोग (FPSC), प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय शामिल हैं। ➢ बर्मा को भारत से अलग कर दिया; ओडिशा और सिंध नए प्रांत के रूप में गठित किये गए।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (वायसराय: लॉर्ड माउंटबेटन)	➢ इस अधिनियम की पृष्ठभूमि में **3 जून, 1947 को माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की**, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया।जिसके परिणामस्वरूप **15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र** हुआ।

	➢ इस अधिनियम के अंतर्गत **भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण** हुआ, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से बाहर जाने का अधिकार भी प्रदान किया गया । ➢ अधिनियम द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर प्रत्येक देश के लिए गवर्नर जनरल के पद बनाये गए। ➢ प्रत्येक देश की संविधान सभा को अपना संविधान निर्मित करने का पूर्ण अधिकार दिया गया । ➢ भारत के संबंध में राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया एवं इसकी शक्तियाँ कॉमनवेल्थ मामलों के सचिव को सोंप दी गयी । ➢ भारतीय सिविल सेवा मैं नई नियुक्तियाँ बंद कर दी गयी । ➢ **लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त** हुए । ➢ अधिनियम के अंतर्गत **1946 में गठित संविधान सभा को भारत की संसद के रूप में मान्यता दी गयी** । ➢ **नए संविधान लागू होने तक संविधान सभा को कानून निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया।**

भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की ओर संक्रमण की प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करती है। इसमें ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्थाओं, राष्ट्रवादी आंदोलनों तथा सामाजिक सुधारों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय संविधान ने एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और समावेशी राज्य की आधारशिला रखी, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और मूलभूत अधिकारों की सुनिश्चितता करना है।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

2 CHAPTER भारतीय संविधान का निर्माण

- **संविधान किसी राज्य का सर्वोच्च कानून होता है,** जो सरकार की संरचना, शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है।

  जैसे- भारत का संविधान।

संविधान से संबंधित शब्दावली:

1. संवैधानिकता (Constitutionalism):

- ✓ संवैधानिकता वह सिद्धांत है, जिसके अनुसार **सरकार की शक्तियाँ संविधान द्वारा सीमित** होती हैं और शासन संविधान में निर्धारित नियमों व मूल्यों के अनुरूप संचालित किया जाता है।
- ✓ **फ्रेडरिक मतानुसार** संवैधानिकता यह सुनिश्चित करती है, कि सरकार नियमों के दायरे में कार्य करे, जिससे निष्पक्षता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिले ।
- ✓ संविधान शासन की रूपरेखा को दर्शाता है तथा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं को परिभाषित करता है तथा विधायिका द्वारा बनाए गए कानून संविधान की सीमाओं के अंतर्गत होते हैं।

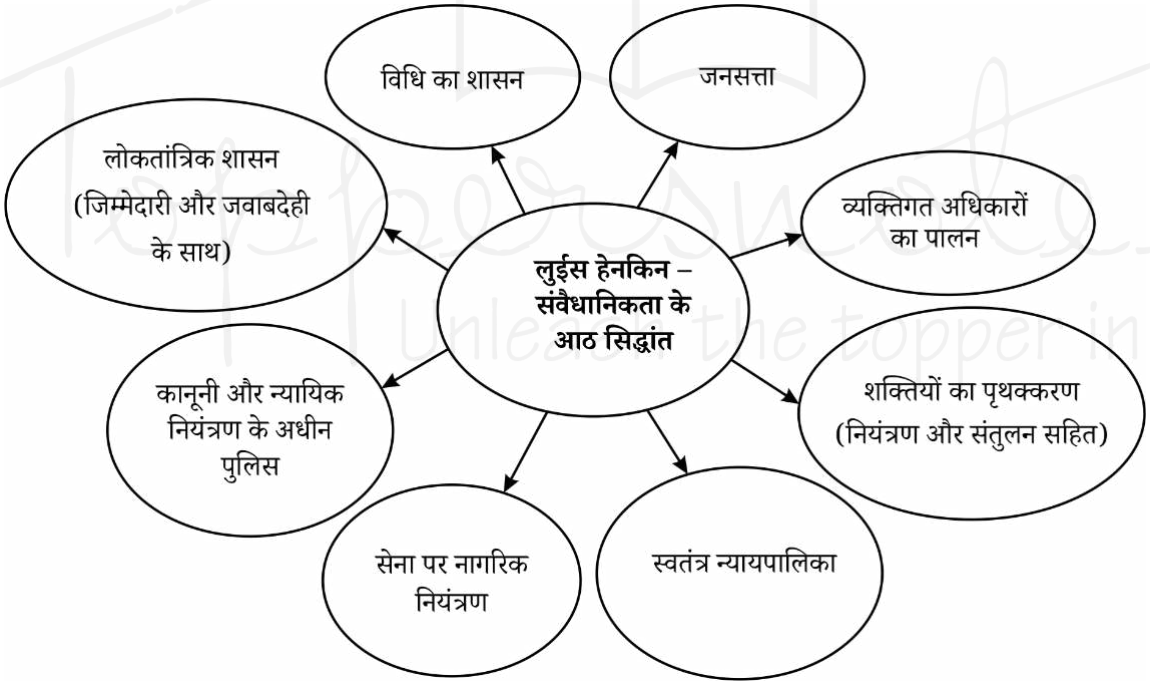

2. संविधान बनाम संवैधानिकता

एक देश के पास **लिखित संविधान** हो सकता है, लेकिन यदि सरकार संविधान के स्थापित नियमों के बाहर कार्य करती है, तो वहाँ वास्तविक संवैधानिकता का अभाव हो सकता है , जैसा कि तानाशाही शासन में देखा जाता है, जहाँ संविधान औपचारिक रूप से मौजूद होता है, परंतु शासन शक्ति के मनमाने प्रयोग द्वारा अधिकारों, संस्थागत संतुलन और उत्तरदायित्व की उपेक्षा करता है। जिससे निष्पक्षता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व कमजोर हो जाते हैं।

संविधान के प्रकार

- **लिखित संविधान:** यह एक औपचारिक दस्तावेज़ होता है जिसमें राज्य के शासन से संबंधित सभी मूल नियम, सिद्धांत और व्यवस्थाएँ एक लिखित दस्तावेज़ के रूप में स्पष्ट रूप से संकलित होती हैं एवं जो सरकार की संरचना, शक्तियों के वितरण और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है। उदाहरण: अमेरिका का संविधान
- **अलिखित संविधान:** अलिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जो एकल दस्तावेज़ की बजाय क़ानूनों, परंपराओं, न्यायिक निर्णयों और प्रथाओं से मिलकर बना होता है। उदाहरण: यूनाइटेड किंगडम (UK) का संविधान
- **लचीला संविधान:** ऐसा संविधान जिसे साधारण कानूनों की तरह आसानी से संशोधित या बदला जा सकता है। उदाहरण: ब्रिटिश संविधान
- **कठोर संविधान:** ऐसा संविधान जिसमें संशोधन के लिए जटिल और कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है, ताकि बदलाव आसानी से न हो सके। उदाहरण: अमेरिका का संविधान
- **संघात्मक संविधान:** इस प्रकार के संविधान मैं केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। उदाहरण: जर्मनी
- **एकात्मक संविधान:** इस प्रकार के संविधान में सभी शक्तियाँ एक केंद्रीय राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं और क्षेत्रीय स्वायत्तता सीमित होती है। उदाहरण: यूनाइटेड किंगडम का संविधान
- **राष्ट्रपति प्रणाली वाला संविधान:** इसमें इस व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के बीच बीच स्पष्ट पृथक्करण होता है तथा राष्ट्रपति ही राज्य प्रमुख और सरकार प्रमुख होता है। उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका
- **संसदीय प्रणाली वाला संविधान:** संसदीय प्रणाली मैं कार्यपालिका अपनी शक्ति विधायिका से प्राप्त करती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। उदाहरण: भारत
- **राजतांत्रिक संविधान:** इस प्रकार की व्यवस्था में राजा या रानी राज्य का प्रमुख होता है, जिसकी शक्तियाँ सीमित (संवैधानिक) या व्यापक (संपूर्ण) हो सकती हैं। उदाहरण: स्वीडन
- **गणराज्यात्मक संविधान:** गणराज्यात्मक संविधान वह संविधान होता है, जिसमें राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है और उसका पद वंशानुगत उत्तराधिकार पर आधारित नहीं होता। उदाहरण: फ्रांस
- **धार्मिक संविधान:** इस प्रकार का संविधान धार्मिक कानूनों पर आधारित होता है, जहाँ सरकार धर्मशासकों द्वारा संचालित या प्रभावित होती है। उदाहरण: ईरान
- **धर्मनिरपेक्ष संविधान:** यह **धर्मनिरपेक्ष संविधान** वह संविधान होता है जिसमे धर्म को सरकार से अलग रखा जाता है और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। उदाहरण: भारत का संविधान

संविधान सभा की माँग

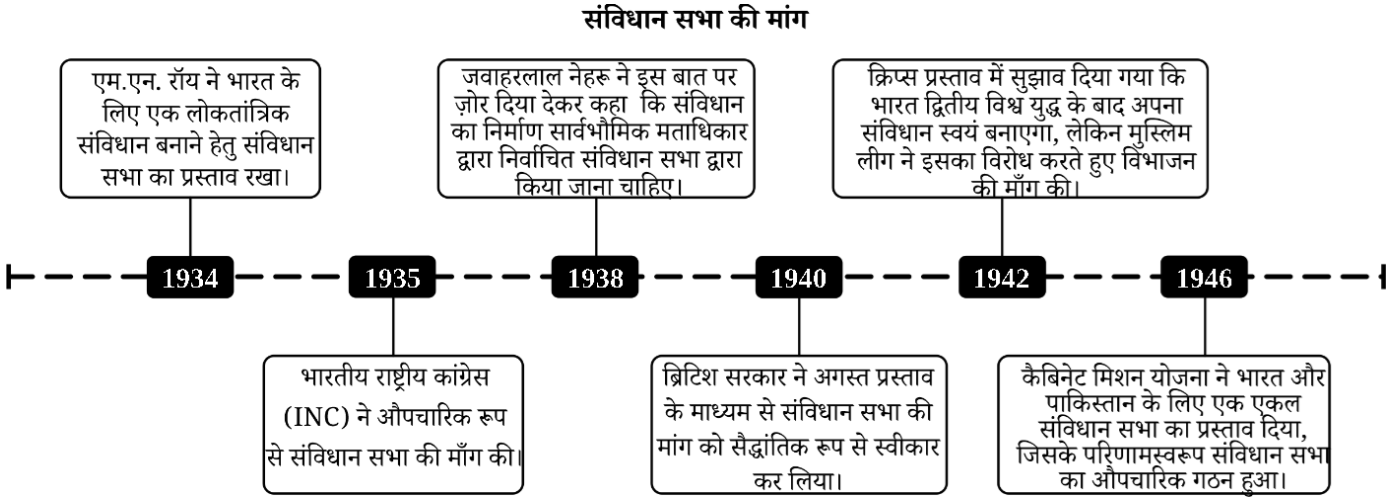

संविधान सभा की महत्वपूर्ण तिथियाँ

- **9 दिसंबर, 1946: संविधान सभा की पहली बैठक** हुई, इसमें डॉ. **सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष** बने तथा मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया।
- **11 दिसंबर, 1946:** डॉ. **राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष निर्वाचित** हुए, **उपाध्यक्ष** के रूप मैं : **एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी निर्वाचित** हुए।
- **13 दिसंबर, 1946: जवाहरलाल नेहरू** द्वारा **उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) प्रस्तुत** किया गया गया।
- **22 जनवरी, 1947: उद्देश्य प्रस्ताव और राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया।**
- **15 अगस्त, 1947:** सत्ता का हस्तांतरण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप **भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों** के रूप में अस्तित्व में आए।
- **मई, 1949:** भारत ने ब्रिटिश **राष्ट्रमंडल (Commonwealth) की सदस्यता** को औपचारिक रूप से स्वीकार किया।
- **26 नवंबर, 1949:** भारत का **संविधान को ओपचारिक रूप से अंगीकृत** किया गया।
- **24 जनवरी, 1950: राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को औपचारिक रूप से अंगीकृत** किया गया और इसी दिन **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित** किया गया इसके साथ ही संविधान सभा का अंतिम सत्र सम्पन्न हुआ।
- **26 जनवरी, 1950:** भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु गणराज्य के रूप मैं स्थापित हुआ ।

उद्देश्य प्रस्ताव

1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के भावी संविधान के मूल सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।

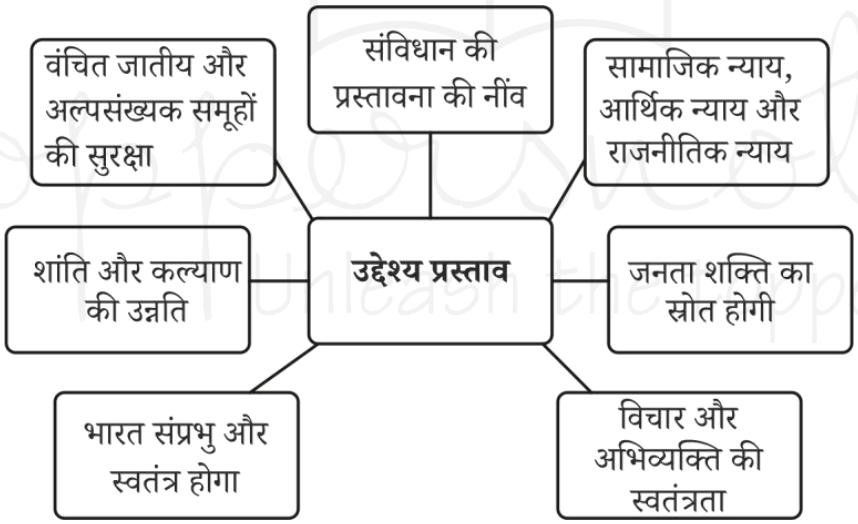

भारतीय संविधान सभा

नवंबर, 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था, , जो भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी।

वर्गीकरण	विवरण
स्थापना	नवंबर, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत **भारत की संविधान सभा का गठन** हुआ।
सदस्य संख्या	संविधान सभा में **कुल 389 सदस्य थे: जिनमे 296 प्रांतों** से निर्वाचित हुए थे और **93 देशी रियासतों** द्वारा नामित हुए थे।

संरचना	इसमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधितव था , जिसमे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो-इंडियन, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और इन समुदायों की महिलाएँ शामिल थी।
सीटों का आवंटन	संविधान सभा में **सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर** किया गया था और प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में **सीटें मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग के बीच विभाजित** की गई थीं।
मतदान की पद्धति	प्रांतीय प्रतिनिधियों के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया गया, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को उनके प्रमुखों द्वारा नामित किया गया।
प्रतिभागी	संविधान सभा का गठन आंशिक रूप से ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित और आंशिक रूप से देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामित सदस्यों द्वारा किया गया था। इसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष माध्यम से चुने गए थे।
गैर-भागीदार	**महात्मा गांधी ने संविधान सभा की कार्यवाही में भाग नहीं लिया था** । इसके अतिरिक्त देशी रियासतों की 93 सीटें भी प्रारंभिक चरण में उनके सम्मिलित न होने के कारण रिक्त रहीं।
अन्य तथ्य	**संविधान सभा ने कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिनों की अवधि** में 11 सत्रों का आयोजन किया । इस पर 64 लाख रुपये का व्यय हुआ और हाथी को संविधान सभा के मुहर चिह्न (Official Seal) के रूप में अपनाया गया।
स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा लाए गए परिवर्तन	संविधान सभा एक पूर्णतः संप्रभु निकाय के रूप मैं कार्यरत थी , जिसके दो मुख्य कार्य थे- ➢ **विधान मंडल के रूप में — अध्यक्ष: जी. वी. मावलंकर** बने ➢ **संविधान निर्मात्री संस्था के रूप में — अध्यक्ष: डॉ. राजेन्द्र प्रसाद** बने ➢ स्वतंत्रता के बाद और मुस्लिम लीग के सदस्यों के हटने के पश्चात सदस्यों की संख्या घटकर मात्र 299 रह गई।
प्रमुख व्यक्ति	➢ **बी. एन. राव – संवैधानिक सलाहकार** नियुक्त हुए ➢ एच. वी. आर. अय्यंगर – सचिव के रूप में नियुक्त हुए ➢ एस. एन. मुखर्जी – मुख्य प्रारूपकर्ता (Chief Draftsman) नियुक्त हुए ➢ प्रेम बिहारी रायजादा – लेखनकर्ता (Calligrapher) नियुक्त हुए ➢ नंदलाल बोस और बी. आर. सिन्हा – संविधान की साज-सज्जा का प्रभार दिया गया ➢ हिंदी में सुलेखन – वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा हिंदी सुलेखन का कार्य किया गया ➢ सजावट – नंदलाल बोस द्वारा संविधान सजावट की गयी

संविधान सभा के लिए गठित समितियाँ

संविधान सभा ने संविधान के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया तथा छोटे समूहों का निर्माण किया गया जिसके द्वारा विस्तार से प्रत्येक विषय में शोध और चर्चाएँ की गईं।

प्रमुख समितियाँ:

अध्यक्ष	समितियाँ
जवाहरलाल नेहरू	➢ **विशेषज्ञ समिति (Expert Committee)** के अध्यक्ष बनाये गये, इसे कांग्रेस द्वारा 8 जुलाई, 1946 को गठित किया गया था, इसमें संघीय शक्तियाँ, संघीय संविधान और रियासतों से संबंधित समितियाँ शामिल थीं। ➢ **अध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू** बनाये गये ➢ **उद्देश्य:** संविधान सभा के लिए विषयवस्तु तैयार करना इसका मुख्य कार्य था ➢ **सदस्य:** एम. आसफ अली, के.एम. मुंशी, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, के.टी. शाह, डी.आर. गाडगिल, हुमायूं कबीर, के. संथानम इसके अन्य सदस्य थे
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	➢ नियम प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष बनाये गये |
सरदार पटेल	मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाये गये (इसमें 5 उप-समितियाँ थीं)- ➢ **मौलिक अधिकार** उप समिति **:** जे.बी. कृपलानी ➢ **अल्पसंख्यक** उप समिति**:** एच.सी. मुखर्जी ➢ **उत्तर-पूर्व सीमांत और** असम **के बहिष्कृत क्षेत्र** पर उप समिति**:** गोपीनाथ बोरदोलोई ➢ **अन्य बहिष्कृत क्षेत्र** पर उप समिति**:** ए.वी. ठक्कर
डॉ. भीमराव अंबेडकर	**प्रारूप समिति** में कुल 7 सदस्य थे: ➢ **अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. अंबेडकर** को बनाया गया | ➢ **सदस्य:** एन. गोपालस्वामी अय्यंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉ. के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव (बी.एल. मित्तेर के स्थान पर), टी.टी. कृष्णमाचारी (डी.पी. खेतान के निधन के बाद नियुक्त) अन्य सदस्यों मैं शामिल थे| **प्रारूप प्रक्रिया:** ➢ पहला मसौदा: फरवरी, 1948 में प्रकाशित किया गया ➢ जन प्रतिक्रिया अवधि: 8 महीने तक चली थी ➢ दूसरा मसौदा: अक्टूबर, 1948 में प्रकाशित किया गया ➢ कुल बैठकें: 141 दिन तक चली ➢ कुल समय: 6 महीने से कम समय लगा

अन्य छोटी समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष:

- **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद:** वित्त और स्टाफ समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति
- **अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:** प्रमाणीकरण समिति (Credentials Committee)
- **बी. पट्टाभि सीतारमैया:** सदन समिति (House Committee), मुख्य आयुक्तों के प्रांतों की समिति
- **नलिनी रंजन सरकार (गैर-सदस्य):** वित्तीय उपबंध समिति
- **एस.के. दार (गैर-सदस्य):** भाषाई प्रांत आयोग
- **जवाहरलाल नेहरू:** प्रारूप संविधान समिति

- **उषा नाथ सेन:** प्रेस गैलरी समिति
- **एस. वरदाचारि (गैर-सदस्य):** नागरिकता समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति
- **डॉ. के.एम. मुंशी:** कार्यसूची समिति
- **जी.वी. मावलंकर:** संविधान सभा की कार्यप्रणाली समिति

संविधान का अधिनियमन एवं प्रवर्तन

अधिनियमन (Enactment):

- **भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत** किया गया।
- 299 में से 284 सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए।
- अंगीकरण के समय संविधान में **395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और एक प्रस्तावना** सम्मलित थी।
- प्रस्तावना को सबसे अंत में अंगीकृत किया गया, ताकि यह संविधान के समग्र दर्शन एवं मूल सिद्धांतों को प्रतिबिंबित कर सके।

प्रवर्तन (Commencement):

- संविधान के कुछ प्रावधान जैसे **नागरिकता, चुनाव और अस्थायी संसद से संबंधित प्रावधान 26 नवंबर, 1949 को लागू** किये गये ।
- भारत को गणराज्य घोषित करने सहित संविधान के शेष प्रमुख प्रावधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। इसीलिए **26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

मुख्य घटनाएँ

- 26 जनवरी, 1930: पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है — ये दिन पूर्ण स्वतंत्रता की माँग का प्रतीक रहा है।
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 395** द्वारा 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 के भारत सरकार अधिनियम को आधिकारिक रूप से निरस्त कर दिया गया, हालांकि 'प्रीवी काउंसिल अधिकारिता समाप्ति अधिनियम (1949)' प्रभावी बना रहा।
- 10 अक्टूबर 1949 से प्रभावी 'प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम' द्वारा ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल की न्यायिक सर्वोच्चता को समाप्त कर संघीय न्यायालय (Federal Court) को भारत का सर्वोच्च अपीलीय निकाय बना दिया गया।

भारतीय संविधान के स्रोत

लोकतंत्र का आधार स्तंभ, भारतीय संविधान, वैश्विक संवैधानिक अनुभवों का एक अनूठा संगम है। जिस प्रकार कोई कलाकार विभिन्न रंगों को मिलाकर एक उत्कृष्ट कृति बनाता है, उसी प्रकार संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के उदान्त सिद्धांतों और आदर्शों को सम्मिलित कर हमारे राष्ट्र के मार्गदर्शक दस्तावेज़ का निर्माण किया है।

स्रोत	विभिन्न देशों से अपनाए गए प्रावधान
भारत सरकार अधिनियम, 1935	इसके द्वारा संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण शामिल किये गये।
ब्रिटेन	संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन (Rule of Law), एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता और विशेषाधिकार (परमाधिकार रिटें) रिटें ।

संयुक्त राज्य अमेरिका	मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का पद।
आयरलैंड	राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP), राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन।
कनाडा	मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक ढांचा, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार।
ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन
जर्मनी (वाईमार संविधान)	आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन।
सोवियत संघ (USSR)	मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना (उद्देशिका) में **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक** न्याय का आदर्श।
फ्रांस	गणराज्य और उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श।
दक्षिण अफ्रीका	संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया ।
जापान	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law)।

भारतीय संविधान का निर्माण एक अनुकरणीय सहयोगात्मक प्रयास था, जिसे संविधान सभा में हुए विविध विचारों और व्यापक विचार-विमर्श से अंतिम रूप दिया गया। यह दस्तावेज़ न केवल एक लोकतांत्रिक गणराज्य की संरचना करता है, बल्कि समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को समाहित करता है। इसका अंगीकरण ही भारत के शासन तंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

3 CHAPTER भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

विश्व के विभिन्न संविधानों के गहन विश्लेषण से निर्मित भारतीय संविधान को वैश्विक स्तर पर एक **'जीवंत दस्तावेज़'** के रूप में सराहा गया है। हालाँकि इसमें कई प्रावधान अन्य देशों से लिए गए हैं, जिन्हें हुबहू अपनाने की बजाय भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिपेक्ष्य में परिष्कृत कर सम्मिलित किया गया है। यही कारण है कि भारतीय संविधान केवल एक संकलन न होकर अपनी विशिष्टताओं के कारण विश्व के अन्य संविधानों से पृथक और अद्वितीय है।"

भारतीय संविधान की विशेषताएँ:

- **सबसे लंबा लिखित संविधान: 1949 में भारत के मूल संविधान में एक उद्देशिका, 395 अनुच्छेद (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियाँ सम्मलित थीं**। संशोधनों के चलते यह **वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों** तक विस्तृत हो चुका है।
  - ✓ इसके विस्तृत स्वरूप का कारण भारत की विविधता, विशालता, ऐतिहासिक कारक और संविधान सभा की विधिक विशेषज्ञता रही है।
- **प्रावधानों के स्रोत:** इसके विभिन्न प्रावधान अंतरराष्ट्रीय संविधानों और मुख्य रूप से **अधिकतर भारत सरकार अधिनियम, 1935** से लिए गए हैं।
  - ✓ संविधान का **संरचनात्मक भाग**– भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिया गया है।
  - ✓ संविधान का **राजनीतिक भाग**– ब्रिटिश संविधान से लिया गया है।
  - ✓ संविधान का **दार्शनिक भाग** (मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निदेशक तत्व)– अमेरिकी और आयरलैंड संविधान से लिए गये हैं।
- **संविधान का एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढांचा: संविधान में "संघ" शब्द का प्रयोग नहीं** किया गया है, अपितु भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को "राज्यों का संघ" घोषित करता है।
  - ✓ संविधान की **संघीय विशेषताएँ:** द्वि स्तरीय सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, द्विसदनीयता, संवैधानिक सर्वोच्चता इसे संघीय बनाता है।
  - ✓ संविधान की **एकात्मक विशेषताएँ:** सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान आदि संविधान को एकात्मक संविधान बनाते हैं।
- **कठोरता और लचीलापन** संविधान**:** भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया में अमेरिकी संविधान की कठोरता और ब्रिटेन के संविधान का लचीलापन , दोनों का मिश्रण शामिल है।
- **संसदीय शासन प्रणाली:** इसमें **कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी** होती है, जो ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है।
- **संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय:** इससे भारत ने ब्रिटेन से संसदीय संप्रभुता और अमेरिका से न्यायिक सर्वोच्चता का समावेश अपनाया है।
- **एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका:** भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है।

- **मौलिक अधिकार (भाग III):** भारतीय संविधान का यह भाग राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार शामिल थे परन्तु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गये हैं।
- **राज्य के नीति निदेशक तत्व (भाग IV):** भारतीय संविधान का यह भाग **सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं** तथा **कल्याणकारी राज्य की अवधारणा** को बढ़ावा देते हैं।
- **मौलिक कर्तव्य:** ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे परन्तु इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया ,जिसमे अनुच्छेद 51A में 11 कर्तव्यों की सूची है।
- **धर्मनिरपेक्ष राज्य: 42वें संविधान संशोधन द्वारा** उद्देशिका में **"धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद एवं अखंडता" शब्द जोड़ा** गया। यह सभी धर्मों के प्रति समभाव और धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता को बढ़ावा देता है।
- **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार: 61 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988**, द्वारा **मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष** कर दी गई।
- **एकल नागरिकता:** अमेरिका के विपरीत, जहाँ राज्य और केंद्र की दो नागरिकताएँ होती हैं, वहीँ **भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान** है तथा भारत में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं।
- **स्वतंत्र संस्थाएँ:** चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग आदि संवेधानिक संस्थाये शामिल हैं। ये अपना कार्य निष्पक्ष हो कर करती हैं।
- **आपातकालीन प्रावधान:** ये संवेधानिक प्रावधान जिसमे **अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 शामिल** हैं जो राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संकट की स्थिति में लागू किए जाते हैं।
- **त्रि-स्तरीय शासन प्रणाली:** यह **अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों** को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय शासन सशक्त होता है।
- **सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा: 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011, द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा** प्रदान किया गया।

भारतीय संविधान के भाग

भाग (Part)	विवरण (Subject)	अनुच्छेद (Articles)
I	संघ और उसका क्षेत्र	1 से 4
II	नागरिकता	5 से 11
III	मौलिक अधिकार	12 से 35
IV	राज्य के नीति निदेशक तत्व	36 से 51
IV-A	मौलिक कर्तव्य	51-A
V	संघ सरकार	52 से 151
	अध्याय I - कार्यपालिका अध्याय II - संसद अध्याय III - राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अध्याय IV - संघ न्यायपालिका अध्याय V - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	52 से 78 79 से 122 123 124 से 147 148 से 151
VI	राज्य सरकारें	152 से 237

	अध्याय I - सामान्य	152
	अध्याय II - कार्यपालिका	153 से 167
	अध्याय III - राज्य विधानमंडल	168 से 212
	अध्याय IV - राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ	213
	अध्याय V - उच्च न्यायालय	214 से 232
	अध्याय VI - अधीनस्थ न्यायालय	233 से 237
VIII	संघ राज्य क्षेत्र	239 से 242
IX	पंचायतें	243 से 243-O
IX-A	नगरपालिकाएँ	243-P से 243-ZG
IX-B	सहकारी समितियाँ	243-ZH से 243-ZT
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 से 244-A
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 से 263
	अध्याय I - विधायी संबंध	245 से 255
	अध्याय II - प्रशासनिक संबंध	256 से 263
XII	वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद	264 से 300-A
	अध्याय I - वित्त	264 से 291
	अध्याय II - उधार	292 से 293
	अध्याय III - संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व और वाद	294 से 300
	अध्याय IV - संपत्ति का अधिकार	300-A
XIII	भारत की सीमाओं के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतःक्रिया	301 से 307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ	308 से 323
	अध्याय I - सेवाएँ	308 से 314
	अध्याय II - लोक सेवा आयोग	315 से 323
XIV-A	प्राधिकरण (ट्रिब्यूनल्स)	323-A से 323-B
XV	निर्वाचन	324 से 329-A
XVI	कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान	330 से 342
XVII	राजभाषा	343 से 351
	अध्याय I - संघ की भाषा	343 से 344
	अध्याय II - क्षेत्रीय भाषाएँ	345 से 347
	अध्याय III - सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा	348 से 349
	अध्याय IV - विशेष निर्देश	350 से 351
XVIII	आपात उपबंध	352 से 360
XIX	विविध	361 से 367
XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	369 से 392
XXII	संक्षिप्त शीर्षक, प्रवर्तन, अधिकृत हिंदी पाठ और निरसन	393 से 395

भारतीय संविधान की अनुसूचियां:

अनुसूचियाँ	विवरण	संबंधित अनुच्छेद
प्रथम अनुसूची	1. राज्यों के नाम और उनकी प्रादेशिक सीमा का विस्तार 2. केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार-क्षेत्र	अनुच्छेद 1-4
द्वितीय अनुसूची	निम्नलिखित के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधान: 1. भारत के राष्ट्रपति 2. राज्यों के राज्यपाल 3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 4. राज्यसभा के सभापति और उपसभापति 5. राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6. राज्यों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति 7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 और 219
तृतीय अनुसूची	शपथ या प्रतिज्ञान के प्रकार: 1. केंद्रीय मंत्री 2. संसद के लिए चुनाव हेतु उम्मीदवार 3. संसद सदस्य 4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 6. राज्य मंत्री 7. राज्य विधानमंडल के चुनाव हेतु उम्मीदवार 8. राज्य विधानमंडल के सदस्य 9. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश	अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188, 219 आदि
चौथी अनुसूची	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन।	अनुच्छेद 4(1) और 80(2)
पांचवी अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान।	अनुच्छेद 244
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन।	अनुच्छेद 244(2) और 275(1)
सातवीं अनुसूची	केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, सूची-I (संघ सूची), सूची-II (राज्य सूची) और सूची-III (समवर्ती सूची) के आधार पर किया गया है। वर्तमान में- ➢ संघ सूची में 100 विषय हैं (मूल संविधान में 97 थे) ➢ राज्य सूची में 61 विषय हैं (मूल संविधान में 66 थे) ➢ समवर्ती सूची में 52 विषय हैं (मूल संविधान में 47 थे)	अनुच्छेद 246